<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।</u>
<u>वैशाली, हाजीपुर।</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–524/2026+अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1050/2026
जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–19/2026
धारा–126(2), 115(2), 117(2), 118(1), 109, 191(1) 191(2), 351(2), 352 B.N.S.

09.04.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन सं0–524/2026 आवेदकगण सुधीर राम उर्फ सुधीर कुमार, कारू राम उर्फ कारू कुमार, रंजन राम उर्फ रंजन कुमार, जमाहिर राम उर्फ जवाहर राम, लालू राम, दिलीप राम एवं जयराम राम एवं अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1050/2026 आवेदकगण सुजीत राम, जनक राम, रितेश राम उर्फ गुड्डु कुमार, छत्तीस राम उर्फ सतीश कुमार एवं रणधीर राम की ओर से अलग अलग दाखिल किया गया है दोनो अग्रिम जमानत आवेदन दर्ज मुकदमा जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–19/2026 मे गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। दोनो अग्रिम जमानत आवेदन एक ही थाना कांड सं0 से संबंधित है जिस कारण एक साथ सुनवाई प्रारम्भ किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन सं0–524/2026 में पारित आदेश ही अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1050/2026 का भी आदेश माना जायेगा।

Web Copy not Official

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचक ललाबाबु राय द्वारा टंकित आवेदन थानाध्यक्ष जुड़ावनपुर को इस आशय का दिया गया कि "दिनांक 31.10.2026 को रात्रि 10 बजे मेरा बेटा मिथुन कुमार अपनी बहन के घर से लौट रहा था तभी रास्ते मे लालू राम, दिलीप राम, सुधीर राम, रणधीर राम, सुजीत राम, जमाहिर राम, जनम राम, रितेश राम, कारू राम, जयराम रायम, छतीस राम, रंजन राम, तथा पॉच अज्ञात लोगों के साथ मेरे बेटे को घेर लिया और बुरी तरह मारपीट करने लगा इसकी सूचना हमको मिला तो मै भतीजा बिटु कुमार के साथ वहां जाकर बीच वचाव किया तब सुधीर राम, रंधीर राम अपने हाथ में लिए लोहे के रड से जान मारने के नियत से मेरे बेटे के सर पे मार दिया जिससे उसका सर फट गया तथा लहु लुहान हो गया, लालू राम अपने पास में लिये पिस्तौल से मेरे सर पर मार दिया जिससे मेरा सर फट गया, रितेश कुमार मेरे भतीजे को हथियार से सर पे मार दिया जिससे वह जख्मी हो गया जब आस पास के लोग जुटे तब धमकी देकर सभी भाग गये कि केस करोगे तो जान से मार देगे।"

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–524 / 2026+अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1050 / 2026

लगातार
09.04.2026

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदकगण द्वारा पूर्व में इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदकगण का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को इस वाद मे झुठा फसाया गया है। उभय पक्षों के बीच जमीनी विवाद है जिस कारण यह झुठा केस किया गया है। वर्तमान में उभय पक्षों के बीच सुलह हो गयी है तथा आपस मे कोई विवाद नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। सूचक एवं अन्य कथित जख्मी आज न्यायालय मे उपस्थित है और वे सुलह के आलोक मे अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नही करना चाहते है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि आवेदकगण आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा। आवेदकगण को निर्देश दिया जाता है कि दो सप्ताह के भीतर निम्न न्यायालय मे आत्मसमर्पण करे तथा आवेदकगण की ओर से 10,000–10,000 (दस–दस हजार) रूपये के समान दो–दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किये जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Date of Judgment/Order	09-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	09-04-2026
Uploading Date	13-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar

Web Copy not Official

Web Copy not Official